

‘इण्डो- यूएस ट्रेड डील पर चार-पांच दिन में दोनों देश संयुक्त बयान देंगे’

वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने यह भी कहा कि संयुक्त वक्तव्य के बाद वाइट हाउस के एज़ीक्युटिव आदेश से यूएस टैरिफ घटकर 18 प्रतिशत रह जाएगा

-डॉ. सतीश मिश्रा-

राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो- नई दिल्ली, 05 फरवरी। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने आज कहा कि अमेरिका-भारत व्यापार समझौते का पहला चरण लगभग तैयार है और दोनों देश चार-पांच दिनों में संयुक्त बयान जारी करेंगे। सोमवार रात अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प द्वारा दृथ सोशल पर की गई घोषणा के बाद दिल्ली और वाशिंगटन के बीच समझौते की पहली जानकारी सामने आने लगी है। गोयल ने कहा कि संयुक्त बयान के बाद वाइट हाउस के कार्यकारी आदेश के जरिए अमेरिकी टैरिफ 18 प्रतिशत तक कम हो जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि समझौते पर औपचारिक हस्ताक्षर करने में 30-45 दिन लगेंगे और इसे मार्च में साइन किया जाएगा।

- पीयूष गोयल ने बताया कि औपचारिक एग्रीमेंट होने में 30 से 45 दिन लगेंगे और संभवतया मार्च तक एग्रीमेंट हो जाएगा और इस पर मार्च में वर्चुअली साइन किये जाएंगे।
- ट्रंप ने ट्रेड डील की घोषणा सोमवार रात की थी जिसमें यह भी कहा था कि भारत अमेरिका से 500 अरब डॉलर का सामान खरीदेगा। इसे स्पष्ट करते हुए वाणिज्य विभाग के अफसरों ने बताया कि विमान खरीद के ही ऑर्डर 70-80 अरब डॉलर के होंगे। भारत ईंधन, विमान व चिप्स खरीद पर 300 अरब डॉलर खर्च करेगा।
- वेनेज़ुएला से ईंधन खरीदने के ट्रंप के दावे पर विदेश विभाग के प्रवक्ता ने कहा, वेनेज़ुएला हमारा पुराना सहयोगी है, हम उससे तेल खरीदते रहे हैं। पर प्रवक्ता ने रुस से तेल खरीद के मुद्दे पर कुछ नहीं कहा।

उन्होंने बताया कि संयुक्त समझौते पर वर्चुअल तरीके से हस्ताक्षर किए जाएंगे और संयुक्त बयान के बाद कार्यकारी आदेश के जरिए भारत से आने वाले सामान पर अमेरिकी शुल्क 18 प्रतिशत कर दिया जाएगा। गोयल ने कहा, “हम चाहते हैं कि समझौता जल्दी हो, क्योंकि इसके बाद हमें और रियायतें मिल सकती हैं।” वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा, “मार्च में लीगल एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर होने के बाद भारत अमेरिका के सामान पर शुल्क कम करेगा।” ट्रम्प के इस दावे पर भी कुछ स्पष्टता सामने आई कि भारत अमेरिका से 500 अरब डॉलर का सामान खरीदेगा। व्यापार अधिकारियों ने बताया कि (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

बिहार चुनाव में “कैश ट्रांसफर” के मुद्दे पर आज सुनवाई संभव

चुनाव आचार संहिता के दौरान, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को दस हजार रु. देने के खिलाफ प्रशांत किशोर ने याचिका दायर की है

- जाल खंबाता - राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो - नई दिल्ली, 5 फरवरी। राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर द्वारा स्थापित जन सुराज पार्टी ने 2025 के बिहार विधानसभा चुनावों से पहले मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए सरकार की कल्याण योजना के दुरुपयोग के आरोप में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। वह विधानसभा चुनाव रद्द कराने की मांग कर रहे हैं। किशोर की पार्टी ने 2025 के चुनावों में 243 विधानसभा सीटों में से 242 पर चुनाव लड़ा था, लेकिन एक भी सीट जीतने में असफल रही। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका का मुख्य मुद्दा बिहार सरकार द्वारा चुनावों से ठीक पहले शुरू की गई मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना है। इस योजना के तहत राज्य सरकार ने हर परिवार की

- इस योजना के तहत सभी महिलाओं को स्वरोजगार के लिए दस-दस हजार रु. दिए गए थे और वादा किया गया था कि आकलन के बाद काम संतोषप्रद रहा तो 2 लाख रु. और दिए जाएंगे।
- प्रशांत किशोर ने याचिका में आरोप लगाया है कि यह योजना विधानसभा की मंजूरी के बिना मंत्रिमंडलीय फैसले के आधार पर लागू कर दी गई थी और इसके लिए सरकार के आकस्मिक कोष से फंड जुटाया गया, जो संविधान के अनुच्छेद 267 का उल्लंघन था।
- उन्होंने कहा कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जब लागू था तब 1.56 करोड़ महिलाओं के खातों में दस-दस हजार रु. दिए गए थे, यह “भ्रष्ट आचरण” है।

एक महिला को 10,000 रु. सीधे देने का निर्णय लिया था, ताकि वह स्व-रोजगार शुरू कर सके, साथ ही एक और वादा किया गया 2 लाख रु. का, जो

व्यवसाय का आकलन के बाद दिया जाएगा। याचिका के अनुसार, इस योजना (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- विवाह पंजीकरण नहीं होने से ईसाई दंपतियों को पासपोर्ट, वीज़ा सहित अन्य सरकारी सेवाओं के लिये कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है।

अधोन नहीं रखा जा सकता। जरिस्टस पीएस भाटी और जरिस्टस संगीता शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश सिरो-मालाबार रोमन कैथोलिक चर्च के प्रीस्ट ईचार्ज फादर पॉल पी की ओर से दायर (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

चुनावों में बढ़ते “रेवड़ी कल्चर” पर सुप्रीम कोर्ट का रुख गंभीर

सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस विषय पर गंभीर चिंतन की जरूरत है इसलिए इस पर तीन सदस्यीय बैंच विचार करेगी

- जाल खंबाता - राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो - नई दिल्ली, 5 फरवरी। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि चुनावी घोषणापत्र और चुनाव प्रचार के दौरान राजनीतिक दलों द्वारा मुफ्त योजनाओं के वादे करने का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है। यह सार्वजनिक हित से जुड़े गंभीर सवाल उठाता है और इस पर तीन जजों की बैंच को विचार करना चाहिए। यह टिप्पणी उस समय की गई जब भाजपा नेता और वकील याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की बैंच के सामने यह मुद्दा उठाया। उन्होंने चुनावी घोषणापत्र और प्रचार के दौरान मुफ्त योजनाओं की घोषणा पर रोक लगाने की मांग की है। यह संकेत देते हुए कि मामला बड़ी बैंच के सामने रखा जाएगा, मुख्य न्यायाधीश ने कहा, यह बहुत महत्वपूर्ण

- मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत व जरिस्टस जॉयमाल्या बागची की बैंच ने याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय से कहा, यह जनहित का गंभीर मुद्दा है और इसे तीन सदस्यीय बैंच द्वारा सुना जाना चाहिए। इसे मार्च में सुना जाएगा तब तक इंतजार कीजिए।
- याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय ने अपनी याचिका में चुनावों में मुफ्त सामान बांटने के “रेवड़ी कल्चर” पर रोक लगाने की मांग की और कहा कि 5 विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, अब सिर्फ सूरज, चांद देने का वायदा किया जाना ही बचा है।
- राजनैतिक दलों ने इस याचिका का विरोध किया तथा इसे राजनैतिक रूप से प्रेरित बताया। उनका कहना है कि लोक कल्याणकारी योजनाएं व सब्सिडी शासन का अस्म् भाग हैं इसका लक्ष्य कमजोर तबकों की मदद करना होता है।
- सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व में भी सुनवाई के दौरान मुद्दे को जटिल बताया था और अपनी न्यायिक सीमाओं की मजबूरी का उल्लेख किया था।

और सार्वजनिक हित का मामला है... इसे तीन जजों की बैंच को सुनना होगा। मुख्य न्यायाधीश ने याचिकाकर्ता से कहा कि इस महीने के बाद मामले की सुनवाई होगी। उन्होंने कहा, “मार्च तक

इंतजार करें।” उपाध्याय ने अदालत से मामले की तुरंत सुनवाई करने का आग्रह किया, यह कहते हुए कि आने वाले महीनों में पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले

हैं। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दल वोटरों को प्रभावित करने के लिए लगातार वादे कर रहे हैं, जो उनके अनुसार भ्रष्ट आचरण है। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

गुरुवार को ठप्प रही लोकसभा

नयी दिल्ली, 05 फरवरी। लोकसभा में गुरुवार को भी विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी जारी रही जिसके कारण सदन की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई।

तीन बार स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही दोपहर तीन बजे शुरू होते ही विपक्षी सदस्य फिर से नारेबाजी करने

- लोकसभाध्यक्ष ने दिन भर के लिए कार्यवाही स्थगित करते हुए कहा सदस्य पोस्टर लेकर आएं तो सदन नहीं चलेगा।

लगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हंगामे के बीच कहा कि बड़े दुख के साथ सभा को सूचित करना है कि कल कुछ सदस्यों ने जिस प्रकार का व्यवहार किया और ऐसे दृश्यों का सुजन किया, वह लोकसभा के शुरुआत से लेकर आज तक आज तक कभी नहीं हुआ। संसदीय प्रणाली में सदन के सभापति का परिणामपत्र स्थान हमारे संविधान में (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

दावे ही बाकी रह गए हैं। यह अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा अपनी उपलब्धि दिखाने के लिए जोर-शोर से किया गया दावा है। ट्रम्प ने भारत से बहुत बड़ी मांग की थी। वह चाहते थे कि भारत में आने वाले अमेरिकी सामान पर सभी टैरिफ हटा दिए जाएं, जबकि अमेरिका भारतीय उत्पादों पर अपने शुल्क बनाए रखे। सही नहीं कहा जा सकता। भारत की ओर से इस बात की कोई पुष्टि नहीं हुई है कि अमेरिकी सामान भारत में बिना शुल्क के आएगा। इसके बजाय कुछ बातों से संकेत मिले हैं कि तय कार्यक्रम के अनुसार भारत में आने वाले सामान पर चरणबद्ध तरीके से शुल्क लगाए जाएंगे। यह संभव नहीं है कि भारत सभी अमेरिकी आयात पर छूट दे, जबकि (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- हालांकि, ट्रेड डील को लेकर अभी सिर्फ कयास ही लग रहे हैं लेकिन एक बात स्पष्ट है कि अमेरिका की दबाव डालने की रणनीति भारत पर कारगर नहीं हुई और यूरोपियन यूनियन के साथ हुई ट्रेड डील से तो अमेरिका की हताशा और बढ़ गई।
- यही वजह रही कि कभी भारत को “डैड इकॉनमी” बताने वाले ट्रंप ने खुद ही ट्रेड डील स्वीकृत करने की घोषणा कर दी क्योंकि ट्रंप समझ गए कि भारत का विशाल बाजार उनके हाथ से निकल रहा है।
- घोषणा अमेरिका की तरफ से हुई और डील भी बेहद आकर्षक थी, ऐसे में भारत के इन्कार करने का सवाल नहीं था।
- पर अब देखना यह है कि वास्तव में यह डील क्या रूप लेती है और भारत को कितना लाभ देगी।